

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व)
(जिला कलक्टर), बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – डॉ. इंद्रजीत यादव, IAS.

अपील सं. 06 / 2026

जीसीएमएस सं. 2026 / 14

ऑन लाईन अपील सं. 21833954845809 / 2026

प्रार्थी / अपीलार्थी :-

श्री संदीप अरोडा, निवासी 132,
महावीर कोलोनी, बेदला रोड,
बडगांव, उदयपुर (राजस्थान)
मोबाइल नं. 9636690287

अप्रार्थी / रेस्पोंडेंट्स:-

उपखण्ड अधिकारी (लोक
सूचना अधिकारी) छोटीसरवन
जिला बांसवाड़ा (राज.)

निर्णय

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

दिनांक :- 19-03-2026

प्रस्तुत मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी की ओर से सूचना चाहने हेतु धारा 6(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत ऑन लाईन आवेदन 218490162579383 दिनांक 23-01-2026 पर उपखण्ड अधिकारी (लोक सूचना अधिकारी) छोटीसरवन जिला बांसवाड़ा (राज.) द्वारा उपलब्ध नहीं करवाये जाने से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय से नोटिस दिनांक 25-02-2026 को जारी किया गया एवं प्रत्यर्थी को नियत तिथी को अपना पक्ष रखने उपस्थित होने सूचित किया गया।

दिनांक 19-03-2026 को प्रत्यर्थी उपखण्ड अधिकारी (लोक सूचना अधिकारी) छोटीसरवन जिला बांसवाड़ा (राज.) ने जवाब प्रस्तुत कर अवगत कराया कि अपीलार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र की सूचना कार्यालय के मूबांक एफ 1(1) आरटीआई / 2026 / 171 दिनांक 02.02.2026 से उपलब्ध की जा चुकी है। अपील निरस्त कराने का श्रम करावे।


लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उपखण्ड अधिकारी (लोक सूचना अधिकारी) छोटीसरवन जिला बांसवाडा (राज.) के जवाब एवं उनकी ओर से अपीलार्थी को वांछित सूचना से अवगत कराये गये पत्र का अवलोकन एवं उस पर मनन किया। अपीलार्थी द्वारा उपखण्ड अधिकारी (लोक सूचना अधिकारी) छोटीसरवन जिला बांसवाडा (राज.) से सूचना चाहने हेतु धारा 6(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन 218490162579383 दिनांक 23-01-2026 से 5 बिन्दु पर सूचना चाही गई है। आवेदन अवलोकन करने पर पाया कि प्रार्थी द्वारा बिन्दु सं. 1 से 5 से वांछित सूचना प्रश्नात्मक/ व्यख्यात्मक/ विशिष्टि विहिन है। सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(1)(B)के अनुसार चाही गई सूचना में स्पष्ट विशिष्टियाँ अंकित करना अपेक्षित है। प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) के परिपत्र क्रमांक प 3(22) प्रसु/ सू.अ.प्र./06 दिनांक 02.02.2009 के बिन्दु सं. 3 के अनुसार सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत लोक सूचना प्राधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्याओ का समाधान करना अपेक्षित नहीं है। अधिनियम के अन्तर्गत केवल ऐसी सूचना प्राप्त की जा सकती है जो लोक सूचना प्राधिकारी के द्वारा नियमानुसार संधारित की जाती है। तथापि उपखण्ड अधिकारी (लोक सूचना अधिकारी) छोटीसरवन जिला बांसवाडा (राज.) द्वारा उनके कार्यालय के पत्रांक एफ 1(1) आरटीआई/ 2026/ 171 दिनांक 02.02.2026 से अपीलार्थी को सूचना के सन्दर्भ में अवगत कराया है। अतः अब इस प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से अपील अपीलार्थी निरस्त की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 19-03-2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. इंदजीत यादव) IAS.
लोक सूचना अपीलार्थी प्राधिकारी,
जिला कलेक्टर, बांसवाडा (राज.)